न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार(आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 01/2017

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2017/00003

प्रार्थी		अप्रार्थी
वीराराम पुत्र मालाराम, जाति जाट, निवासी–शोभालेश्वर का गोलिया ,सांचौर, तहसील व जिला–सांचौर	बनाम	राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

तारीख रजु :– 02.01.2017

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पुनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक :– 12.09.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी मय अधिवक्ता ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया, बाद कार्यालय टिप्पणी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा सांचौर पटवार मण्डल–सांचौर में प्रार्थी के खातेदारी कब्जा काश्त का खेत नवीन खसरा संख्या 246 रकबा 2.40 हैक्टेयर, खसरा संख्या 247 रकबा 0.47 हैक्टेयर के आये हुए थे जिसका बंटवाड़ा सृजित नंबर 3788/246 रकबा 1.17 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3790/247 रकबा 0.31 हैक्टेयर है जिसके पुराना खसरा संख्या 92 रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा थे तथा इसी ग्राम के खसरा संख्या 200 रकबा 1.08 हैक्टेयर, खसरा संख्या 201 रकबा 0.93 हैक्टेयर, खसरा संख्या 202 रकबा 1.66 हैक्टेयर के बंटवाड़ा नवसृजित खसरा संख्या 3792/202 रकबा 0.16 हैक्टेयर प्रार्थी को बंटवाड़े में दी गई जिसके पुराना खसरा संख्या 58 व 59 है। ग्राम सांचौर के खसरा संख्या 246/2977 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा संख्या 255 रकबा 0.53 हैक्टेयर आये हुए है जिसके पुराना खसरा संख्या 94 थे लेकिन सेटलमेंट वाली ने [illegible] मुझ प्रार्थी का वास्तविक नाम वीराराम पुत्र मालाराम की जगह वालाराम पुत्र मालाराम [illegible] जबकि मुझ प्रार्थी का नाम वालाराम कभी नहीं रहा तथा [illegible] में भी वीराराम नाम है। मुझ [illegible] के ग्राम सांचौर के अन्य खेत खसरा नंबरान की जमाबंदी में वास्तविक नाम वीराराम पुत्र मालाराम लिखा गया है जो सही लिखा है। एक खाते में गलत नाम लिपिकीय भूल से लिखने पर उक्त नाम की दुरूस्ती करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश है। पुराना खसरा संख्या 92 के नये खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.20 17:22:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 246, 247 की पूर्वी माठ पुराने नक्शे के अनुसार नक्शे में सीधी व मौके पर कायम माठ अनुसार करनी थी जो नहीं कर पुराने नक्शे से भिन्न तिरछी कर नक्शे की आकृति का गलत सृजन लिपिकीय भूल से कर दिया है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त आराजी के पुराने खसरा संख्या 92 व 59 के नवीन खसरा संख्या 200, 201, 202, 246, 247, 3789/246, 3788/246, 3790/247 की माठ पुराने नक्शे अनुसार व कायम माठ, कब्जा अनुसार व प्रार्थना–पत्र के साथ नजरी नक्शा 'अ' व 'ब' अनुसार नवीन नक्शे में लिपिकीय भूल को सुधार कर नक्शा दुरूस्ती फरमावें तथा इसी ग्राम के खसरा संख्या 246/2977 व 255 में प्रार्थी का नाम लिपिकीय भूल से वालाराम पुत्र मालाराम लिखा गया है जिसे वास्तविक व सही नाम वीराराम पुत्र मालाराम रेकर्ड दुरूस्ती करने हेतु तहसीलदार सांचौर को आदेशित फरमावें।

अप्रार्थी की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर द्वारा जवाब पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा सांचौर के खसरा संख्या 246/2977 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा संख्या 255 रकबा 0.53 हैक्टेयर जुमले रकबा 0.66 हैक्टेयर पुराने खसरा संख्या 94 रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा से सृजित है। उक्त आराजी में प्रार्थी का नाम वालाराम पुत्र मालाराम जरिये बेचान रजिस्ट्री दिनांक 14.08.1981 को भूमि खरीद के दौरान दर्ज हुआ उक्त बेचान रजिस्ट्री के अनुसार नामान्तरकरण से राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हुआ राजस्व विभाग एवं भू–प्रबंध विभाग द्वारा कोई नाम परिवर्तन नहीं किया है। मौका एवं रेकर्ड, अनुसार खाता संख्या 246, 247, 201, 202 की माठ एवं पुराने रकबा में कोई अन्तर नहीं होने से नक्शे में कोई दुरूस्ती अपेक्षित नहीं है। प्रार्थी द्वारा अपने सही नाम वीराराम पुत्र मालाराम के संबंध में अपना आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड की प्रतियां पेश की, अतः प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाता है तो राज्य सरकार का कोई हित प्रभावित नहीं होता है।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि उक्त आराजी के पुराने खसरा संख्या 92 व 59 के नवीन खसरा संख्या 200, 201, 202, 246, 247, 3789/246, 3788/246, 3790/247 की माठ पुराने नक्शे अनुसार व कायम माठ कब्जा अनुसार व प्रस्तुत नजरी नक्शा 'अ' व 'ब' अनुसार नवीन नक्शे में लिपिकीय भूल को सुधार कर नक्शा दुरूस्ती एवं इसी ग्राम के खसरा संख्या 246/2977 व 255 में प्रार्थी का नाम लिपिकीय भूल से वालाराम पुत्र मालाराम लिखा गया है जिसे वास्तविक व सही नाम वीराराम पुत्र मालाराम रेकर्ड दुरूस्ती करने का आदेश फरमावें। राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर ने उक्त तथ्यों का घोर विरोध करते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र धारा 136 सपठित धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमावें।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली–भांति अध्ययन व अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौजा सांचौर के खेत खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.20 17:22:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 159, 160, 246, 247, 200, 201, 202 की जमाबंदी संवत् 2069–2072, 2070–2073 नक्शा ट्रैश नया, नक्शा ट्रैश पुराना, नजरी नक्शा 'अ' व 'ब', नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबंदी संवत् 2042–2045 नकल लगान पर्चा, नकल मतदाता परिचय–पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल राशन कार्ड इत्यादि जिसमें वीरा नाम दर्ज है अतः उपरोक्त तमाम दस्तावेज में प्रार्थी का नाम वालाराम पुत्र मालाराम की जगह वीराराम पुत्र मालाराम एवं नजरी नक्शा 'अ' व 'ब' अनुसार नवीन नक्शे को दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

परिणामस्वरूपः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि मौजा सांचौर के खसरा संख्या 246/2977 व खसरा संख्या 255 में प्रार्थी का नाम वालाराम पुत्र मालाराम की जगह वीराराम पुत्र मालाराम के नाम की इन्द्राज दुरूस्ती की जावें तथा साथ ही पुराने खसरा संख्या 92 व 59 के नवीन खसरा संख्या 200, 201, 202, 246, 247, 3789/246, 3788/246, 3790/247 के नवीन नक्शे में पुराने नक्शे अनुसार नक्शा दुरूस्ती की जावें। उपरोक्तानुसार तहसीलदार सांचौर के नाम पृथक से तहरीर जारी हों।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक 12.09.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.20 17:22:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner